न्यायालय से श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर म0प्र0
कैम्प रीवा संभाग रीवा म0प्र0

निग/2888/III/15

अधीक्षक कार्यालय कमिश्नर शहडोल संभाग

तीरथ प्रसाद पिता रामकृपाल सोनी, मृत उनके वारिस

1. श्रीमती गुलबिया सोनी उम्र 90 साल (पत्नी) पति तीरथ प्रसाद सोनी
2. मोहनलाल सोनी उम्र 70 वर्ष (पुत्र) पिता तीरथ प्रसाद सोनी

सभी निवासी बिजुरी थाना कोतमा जिला अनूपपुर म0प्र0 .... आवेदक

बनाम

मुसु. रनिया बाई मृत उसके वारिस

1.कंधी कोल पिता नफादीन कोल, माता रनिया बाई

निवासी बिजुरी थाना कोतमा जिला अनूपपुर म0प्र0 .... अनावेदक

क्रमांक 6665

निगरानी विरूद्ध–कमिश्नर शहडोल संभाग शहडोल के राजस्व प्रकरण क्र0 53/74/2014–15 तीरथ प्रसाद बनाम मुस. रनिया वगै. में पारित आदेश दिनांक 11.06.2015

मान्यवर,

मामले के तथ्य

1. यह कि प्रार्थी श्रीमती गुलबिया सोनी पत्नी तीरथ प्रसाद सोनी व पुत्र मोहनलाल सोनी पिता तीरथ प्रसाद सोनी कलेक्टर साहब शहडोल म0प्र0 के राजस्व प्रकरण क्र0 03/स्वमेव निगरानी/1985–86 में दिनांक 03.03.1986 को प्रार्थी के पिता तीरथ प्रसाद सोनी व पत्नी गुलबिया के खिलाफ आदेश पारित किया गया जिससे दुखी होकर तीरथ प्रसाद सोनी श्रीमान कमिश्नर साहब रीवा संभाग, रीवा म0प्र0 के यहां अपील पेश किया था।
2. यह कि शहडोल संभाग बनने के बाद उक्त अपील श्रीमान कमिश्नर शहडोल संभाग, शहडोल को स्थानांतरण कर दी गई। इस बीच तीरथ प्रसाद सोनी अपीलार्थी की मृत्यु हो गई।
3. यह कि न्यायालय कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल म0प्र0 के न्यायालय से नोटिस जारी की गई।

चूँकि अपीलार्थी मृत हो चुका था इस कारण उसके वारिस मोहनलाल सोनी व गुलबिया सोनी प्रकरण में उपस्थित हुये। तीरथ प्रसाद सोनी ही रीवा संभाग में प्रकरण की पैरवी करते थे। इनके वारिस को जानकारी नही थी।

XXXa BR H-11

राजस्व् मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

——— तीरथ प्रसाद पिता रामकृपाल सोनी
मृत वारिसान
गुलबिया आदि/रनियाबाई मृत वारिस
कंधी कोल

प्रकरण कमांक निग0 2888–तीन/15 जिला –अनूपपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1/3/16	आवेदक द्वारा यह निगरानी आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के प्रकरण कमांक 53/74/2014–15 आदेश दिनांक 11–6–15 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई । ग्रहयता पर आवेदक अभिभाषक के तर्क सुने एवं उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । इससे प्रकट होता है कि तीरथ प्रसाद सोनी के विरूद्ध कलेक्टर न्यायालय द्वारा दिनांक 3–3–1986 को आदेश पारित किया था । जिसके विरूद्ध तीरथप्रसाद सोनी द्वारा आयुक्त, रीवा को अपील प्रस्तुत की जो कि शहडोल संभाग बनने के पश्चात् आयुक्त, शहडोल को अंतरित हुई । इसी बीच तीरथप्रसाद सोनी की मृत्यु हो गई । बाद में आवेदक के अभिभाषक द्वारा तीरथप्रसाद के वारिसों को यह बताया कि तीरथप्रसाद की मृत्यु हो जाने से वारिसों को रिकार्ड पर लेने के लिये उनका मृत्यु प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करें । मृत्यु प्रमाण–पत्र दिनांक 25–7–2014 को प्राप्त हुआ । जिसे अभिभाषक को दिया । परन्तु निश्चित तिथि को अभिभाषक के उपस्थित न होने के कारण प्रकरण दिनांक 11–6–2015 को अदम पैरवी में खारिज हो गया । आवेदक अभिभाषक द्वारा तर्क दिया कि तीरथप्रसाद की वारिस पत्नी आवेदिका	

R 2888-III/15 अनूपपुर

गुलबिया लगभग 90 वर्ष की है । तथा मोहनलाल सोनी पुत्र तीरथप्रसाद सोनी लगभग 70 वर्ष का है जो कि तीरथप्रसाद सोनी के वारिस हैं । वृद्ध तथा बीमार होने के कारण वह न्यायालय में पुकार नहीं सुन पाये इसलिये प्रकरण अदम पैरवी में खारिज कर दिया । अतः पुर्नस्थापन हेतु आवेदन लगाया गया, परन्तु आयुक्त शहडोल द्वारा पुर्नस्थापन का आवेदन–पत्र भी निरस्त कर दिया । यदि आवेदक को अपील प्रस्तुत करने का अवसर आयुक्त, शहडोल के न्यायालय में नहीं मिला तो उसे अपूर्णीय क्षति होगी । प्रकरण के अवलोकन पश्चात् आवेदकों की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण आयुक्त, शहडोल को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रकरण पुर्नस्थापित करते हुए आवेदकों को तीरथप्रसाद के वारिसों के रूप में मान्य कर गुणदोषों पर निराकृत किया जाय ।

सदस्य